

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी  
पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :- 08/2025 GCMS No. 2025/20

परिवादी :-

1. श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री सुमित अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल खाद्यकारोबारकर्ता  
मैसर्स- अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट वाईट हाउस कुचामन सिटी  
निवासी- 101, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट कुचामन सिटी।
2. श्री अंकिता  
मैसर्स- अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट वाईट हाउस कुचामन सिटी  
निवासी- 101, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट कुचामन सिटी।
3. श्री वंदना देवी बुच्चा पत्नी पारस मल बुच्चा  
मैसर्स- करणी ट्रेडर्स, वॉर्ड नं0 29, मैन रोड चौधरी कॉलोनी गंगाशहर बीकानेर  
निवासी- नई लाईन गंगाशहर बीकानेर


“ परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ”

उपस्थिति :-


:-निर्णय :-

दिनांक :- 18/12/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.05.2024 को समय 01.00 P.M. पर फर्म मैसर्स - अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, वाईट हाउस कुचामन सिटी पर पहुंचा। वहां पर श्री सुमित अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल मिले। श्री सुमित अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री सुमित अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल ने स्वयं को फर्म मैसर्स - अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट, वाईट हाउस कुचामन सिटी का खाद्यकारोबारकर्ता होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियों प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (भूमि) 1-1 लीटर के 5 कार्टून प्रत्येक में 1 लीटर के 15 ट्रेटा पैक रखे हैं, में अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 1-1 लीटर के 4 ट्रेटा पैक को खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुमित अग्रवाल को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री सुमित अग्रवाल को 1560/- रुपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सुमित अग्रवाल एवं गवाहान ने पढ़कर

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कुचामन सिटी

समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुमित अग्रवाल को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (भूमि) 1-1 लीटर के ट्रेटा पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-2962 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलिफ नं. Q-2962 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनो पर आवें। चारों नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुमित अग्रवाल एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक 398 दिनांक 05.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./550/Act/2023/578 दिनांक 20.05.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (भूमि) का नमूना अनसेफ होना पाया गया। श्री सुमित अग्रवाल मैसर्स अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट वाईट हाउस, कुचामन सिटी द्वारा खाद्य विश्लेषक अजमेर की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के उपरांत उन्होंने पुनः जांच हेतु फार्म-8 मय डीडी के साथ आवेदन किया। नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे भिजवाया गया, जिसकी जांच सर्टिफिकेट क्रमांक 901F/FSSA/2024 दिनांक 02.09.2024 के अनुसार घी (भूमि) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, उक्त प्रकरण मे श्री सुमित अग्रवाल ने खाद्य पदार्थ घी (भूमि) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3(1)(zx)substandard (B.R.R.at 40°C 48.37 in place of 40-44 R.M Value 1.73 in place of not Less than 24, Iodine Value (wij'S method) 49.62 in place of 25-38, saponification value 199.45 in place of 205-235 Test for presence fo foreign fat other than milk fat present in place of shall be absent) धारा 26(2)(ii) का साथ ही बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र प्राप्त किये खाद्य प्रदार्थो का विक्रय किया जाना पाया गया जो F.S.S.A.2006 की धारा 31(2) उल्लंघन किया है के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित

  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 कुचामन सिटी

न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत निहित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुस्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा-पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनांक 25.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त श्री सुमित अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता व अन्य को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अभियुक्त सुमित एवं अन्य के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII A रिपोर्ट नं.L.S./550/Act/2024/578 दिनांक 20.05.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-


**Opinion-** The sample of GHEE bearing Code No. and Sr. No. Q-2962 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, nagaur is Unsafe food under section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi) of food safety and standards Act 2006 as the milk fat substituted wholly by any inferior or cheaper substance.

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री सुमित अग्रवाल पुत्र बजरंग लाल मैसर्स- अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्प्लेक्स बेसमेंट वाईट हाउस कुचामन सिटी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (भूमि) नमूना नं. Q-2962 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड Q-2962 वाले घी (भूमि) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के व नियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A.2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(1) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :- (v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
कुचामन सिटी

### धारा-51 व 58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो धारा 51 पांच लाख एवं धारा 58 दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार घी (भूमि) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री सुमित अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स- अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट वाईट हाउस कुचामन सिटी व अन्य दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त श्री सुमित अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स- अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट वाईट हाउस कुचामन सिटी, श्री अंकिता मैसर्स- अग्रवाल सेल्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स बेसमेंट वाईट हाउस कुचामन सिटी, प्रत्येक पर 5000/- एवं श्री वंदना देवी बुच्चा पत्नी पारस मल बुच्चा मैसर्स- करणी ट्रेडर्स, वॉर्ड नं0 29, मैन रोड चौधरी कॉलोनी गंगाशहर बीकानेर राशि रुपये 11000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*

(राकेश कुमार गुप्ता)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी